

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द  
(श्याम लाल गुर्जर, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)  
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 14/2015  
दायर दिनांक : 26.10.2015  
आदेश दिनांक : 28.08.2018

--:अनवान:-

मंजुदेवी पत्नी देवेन्द्र कुमार सामरा, निवासी भीलवाड़ा रोड कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

.....प्रार्थिया

--: बनाम :-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, राजसमन्द
3. परियोजना अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भीलवाड़ा

.....विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उप धारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997  
पत्रावली नम्बर 3014/2013 दिनांक 04.10.2013

उपस्थित:-

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, प्रार्थिया
2. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1
3. श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम अधिकारी, भू अवाप्ति अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रार्थी की ग्राम तरसिंगड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 109/4 को अवाप्त किये जाने के संबंध में पारित अवार्ड को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उक्त अवार्ड कम जारी किया गया है तथा अवार्ड वृद्धि के लिये विभिन्न आधार अपने प्रार्थनापत्र में लिये गये हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अवाप्तिशुदा भूमि में प्रार्थी की भूमि जो राजस्व ग्राम तरसिंगड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित



आराजी संख्या 109/4को भी सम्मिलित किया गया है। जिसका मुआवजा कम दिया गया है। जिसे बढ़ाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना-पत्र की सुनवाई के दौरान धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.05.2015 के जरिये यह निर्देशित किया गया है कि भूमि अर्जन पुनर्वसन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। इस प्रकार वर्ष 2013 भू अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण में भी लागू किये जा चुके थे तथा एवार्ड की तारीख से पूर्व यह प्रावधान लागू किये जा चुके थे जिसके अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण करना था लेकिन उक्त प्रावधानों की पालना किये बगैर ही एवार्ड पारित कर दिया गया और राशि का निर्धारण नहीं किया गया। लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्ति की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण (solatium) राशि भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। भू अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 26, 27 के प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि तय करने के आधार एवं प्रावधान दिये गये हैं जिसके तहत कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण अर्थात् उस क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, यथास्थिति विक्रय विलेख करार में वर्णित बाजार मूल्य या निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिये औसत कीमत लिये जाने के प्रावधान है। विपक्षी संख्या 1 को निर्देशित किया जावे कि प्रार्थी के पक्ष में जारी किये गये एवार्ड को पुनः संशोधित कर भू अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में मुआवजा राशि एवं तोषण राशि अदा करें।

विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा 3 ए अधिसूचना प्रकाशन के समय निर्धारित डी.एल.सी. दर अनुसार किया गया है। प्रार्थी अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा वर्तमान डी.एल.सी. रेट से चाहता है जिसके लिये ऐसा कोई कानून नहीं है। धारा 151 सी.पी.सी.का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि RFCTLARR, ACT 2013 के अनुसार मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई प्रार्थनापत्र बलेम आवेदन पत्र विपक्षी के यहां पर प्रस्तुत नहीं किया है। विपक्षी द्वारा आप न्यायालय में उक्त याचिका पेश करने के उपरान्त सम्मन प्राप्त होते ही प्रार्थी के भूमि अवाप्ति के संबंध में RFCTLARR, ACT 2013 के प्रावधानों के तहत संशोधित मुआवजा राशि अदा करने बाबत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्रार्थी का प्रकरण विपक्षी के कार्यालय में विचाराधीन है तथा शीघ्र ही उस पर कार्यवाही कर जो भी राशि नियमानुसार प्रार्थी को देय होगी, वह अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रार्थी को अदा कर दी जायेगी। RFCTLARR,ACT 2013 के सम्पूर्ण प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण पर लागू नहीं होते हैं और 3 गुना मुआवजा अदा किये जाने के कोई प्रावधान नहीं है। क्षतिपूर्ति राशि एवं तोषण राशि के संबंध में जो विभागीय दिशा-निर्देश प्रदान कर रखे हैं उसकी सम्पूर्ण रूप



से पालना की जा रही है। और उक्त राशि प्राप्त करने के उपरान्त भी प्रार्थी ने RFCTLARR,ACT 2013 के तहत मुआवजा राशि अदा करने के बावत कोई भी क्लेम प्रतिवेदन विपक्षी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थी की उक्त याचिका आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा विपक्षी द्वारा नियमानुसार अदा नहीं किया है। अवार्ड जो जारी किया है, वह भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान नेशनल हाईवे पर भी अवार्ड भुगतान के संबंध में लागू होने पर उक्त अनुसार अवार्ड का निर्धारण नहीं किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार रोड़ परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय द्वारा उक्त अधिनियम 01.01.2015 से प्रभावी माना जा चुका है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त रोड़ के संबंध में अपने विभिन्न निर्णयों में उक्त अधिनियम के तहत मुआवजा देने के आदेश पारित किये हैं। प्रार्थी के मामले में तो सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया है। अवाप्तशुदा भूमि 2185 वर्गमीटर होते हुए उसका एवार्ड संरचना सहित 14,20,305/- रुपये होते हैं जिसके स्थान पर 8,85,874/- रुपये ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। अवार्ड में तोषण राशि व ब्याज का भी भुगतान नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के पक्ष में संशोधित अवार्ड जारी करने एवं मुआवजा राशि अदा करने का आदेश फरमाया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एस.बी.रिट पिटीशन संख्या 13158/2016 मानसिंह बनाम भारत संघ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पारित परिपत्र गजट नोटिफिकेशन की प्रति पेश की गयी। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश मधुबाला बनाम सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति प्रकरण संख्या 37/2016 की प्रति पेश की गई है।

विपक्षी ने अपनी बहस में जवाब में ली गई आपत्ति को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपना कोई क्लेम निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी को 3 ए अधिसूचना प्रकाशन के समय निर्धारित डी.एल.सी. के अनुसार भूमि का मुआवजा तय किया है। प्रार्थी अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा वर्तमान डी.एल.सी. रेट से अदा किया गया है। प्रार्थी की भूमि राजस्व रेकार्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है और उसी अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। और अदा किया गया है। प्रार्थी ने कोई आपत्ति एवं क्लेम आवेदन मुआवजा के संबंध में पेश ही नहीं किये हैं। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं। डी.एल.सी.दर से अधिक मुआवजा देय नहीं होता है। मुआवजा का निर्धारण विधिनुसार सही किया गया है। गणना में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा यदि नियमानुसार क्लेम पेश किया जाता है तो उस पर विपक्षी द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उस पर विनिश्चय किया जायेगा। प्रार्थीगण की उक्त याचिका प्रिमेच्योर है। अतः खारिज फरमायी जावे।


उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

उक्त प्रकरण में विपक्षी के कथनानुसार प्रार्थी द्वारा कोई क्लेम विपक्षी के यहां पर पेश नहीं किया है। विपक्षी ने अपने जवाब में उक्त राशि अदा करने बाबत अपने यहां पर पृथक से कार्यवाही विचाराधीन होना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रावधानों के तहत राशि प्राप्त करने के लिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र प्रिमेच्युर होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि वह सर्वप्रथम विपक्षी के यहां पर उक्त भूमि के संबंध में एवं 2013 अधिनियम के तहत मुआवजा बाबत क्लेम आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। जिस पर विपक्षी द्वारा नियमानुसार आदेश पारित किये जाने के उपरान्त ही एवार्ड को चुनौती दी जा सकती है। उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका अस्वीकार योग्य होने से खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

--:आदेश:--


अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सक्षम प्राधिकारी अधिकारी भू अयाप्ति/अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को लौटायी जावे।

  
(श्याम लाल गुर्जर)  
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर  
राजसमंद

आदेश आज दिनांक: 28.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(श्याम लाल गुर्जर)  
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर  
राजसमंद